(१)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 6] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 3, 2013/पौष 13, 1934
No. 6] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 3, 2013/PAUSA 13, 1934

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

मुंबई, 21 दिसम्बर, 2012

सा.का.नि. 6(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में निदेशक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परमाणु ऊर्जा विभाग (निदेशक, एटीआई) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण तथा उसका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हताएं.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

7. **सेवा की पात्रता.**—इन नियमों के अधीन उक्त पद पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में कहीं भी सेवा करने का दायी होगा ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनबैंड / ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
1	2	3	4	5	6	7	8
निदेशक (एटीआई, डीएई)	01* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह " क", राजपत्रित	वेतन बैंड - 3 ; 15,600-39100 रु0 + ग्रेड वेतन 7600 रु0 ।	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति : विभाग के प्रशासनिक या लेखा काडर के ऐसे अधिकारियों में से या उपनिदेशक, एटीआई में से जिन्होंने वेतन बैंड-3 + ग्रेडवेतन 6600 रु. में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।	1. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग - अध्यक्ष 2. निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र - सदस्य 3. अपर सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग	लागू नहीं होता

(8)

		प्रतिनियुक्ति : विभाग या केन्द्रीय सेवा समूह 'क' के किसी प्रशासनिक या लेखा काडर के ऐसे अधिकारियों में से - (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या (ii) जिन्होंने वेतन बैंड - 3 + ग्रेड वेतन 6600 रु0 में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; या भर्ती की दोनों रीति के लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हों आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से किसी विद्या विशेष में बैचलर डिग्री और/या विधि में डिग्री या समतुल्य ; और (ii) केन्द्रीय सरकार के स्थापन के क्षेत्र में नियमों या विनियमों या प्रक्रियाओं या वित्तीय प्रबंध पद्धतियों को लागू करने का दस वर्ष का अनुभव । वांछनीय : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री या समतुल्य ; (ii) अध्यापन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव ; (iii) निम्नलिखित विषय के किसी एक विषय का विशेषज्ञीय ज्ञान :- (क) लोक प्रशासन ; (ख) व्यवहार विज्ञान ; (ग) संघटनात्मक व्यवहार ; (घ) प्रबंध सूचना प्रणाली ; (ङ) सूचना प्रौद्योगिकी ; (च) विनिश्चय क्षमता ; (छ) बजट संपादन ; (ज) प्रारंभिक सांख्यिकी । टिप्पण 1 : (क) प्रोन्नति के लिए पात्रता अवधि की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख रिक्त पद वाले वर्ष की 1 जनवरी होगी ।	- सदस्य 4. संबद्ध एकक का भारसाधक संयुक्त सचिव - सदस्य 5. संबद्ध विद्या विशेष में विशेषज्ञ जिसे सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा नामनिर्देशित किया जाए - सदस्य	

(7)

		(ख) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । (ग) प्रतिनियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा 1.1. 2006 से पहले/ उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/ वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । प्रतिनियुक्ति/आमेलन के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1.1.2006 से पहले/ उस तारीख से, जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है, और वहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा, जिसके लिए ग्रेड वेतन/ वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन/ वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । । टिप्पण 2 : (क) प्रतिनियुक्ति जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । (ख) पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।		

[फा. सं. 21/1(3)/2009-सीसीएस/पीएफ/1045]

स्वाति पाण्डेय, निदेशक

Kind Attention : SO (Cadre)
022.22049476

(5)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

Mumbai, the 21st December, 2012

G.S.R. 6(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Director of Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Department of Atomic Energy (Director, ATI) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and the pay band and grade pay or pay scale.**—The number of post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified at columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualifications.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

7. **Liability of service.**—Any person appointed to the said post under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

5061/2013-2

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification	Pay band/ Grade Pay/ Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits (if any).	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a departmental promotion committee exists what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commissioo is to be consulted in making recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Director (Administrative Training Institute, Department of Atomic Energy)	01* (2012) *Subject to variation dependant on workload	General Central Service Group 'A' Gazetted	PB-3 Rs. 15600-39100 Grade Pay Rs.7600	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion failing which by deputation	Promotion: From among the officers of Administrative or Accounts cadres of the Department or Deputy Director, ATI with five years regular service in PB-3 with Grade Pay Rs. 6600. Deputation: From among the Officers of any Administrative or Accounts Cadres of the Department or Central Services Group 'A' (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in PB 3 with Grade Pay Rs.6600; Educational qualifications and experience for both the modes of recruitment are as follows: Essential : (i)Bachelor's Degree in any discipline and/or Degree in Law from a recognized University or	1. Secretary, Department of Atomic Energy - Chairman 2. Directer, Bhabha Atomic Research Centre - Member 3. Additional Secretary, Department of Atomic Energy – Membor 4. Joint Secretary in-charge of the concerned unit - Member 5. Expert in the relevant discipline te be nominated by Secretary, Department of Atomic Energy – Member	Not Applicable

										equivalent; and (ii) Ten years experience in application of Rules, Regulations or Procedures in the area of establishment or financial management practices in Central Government. Desirable : (i) Master's Degree from a recognized University or equivalent; (ii)Teaching experience/ organizing training programmes; (iii) Specialized knowledge of any one of the following subjects:- (a) Public Administration; (b) Behavioural Sciences; (c) Organizational Behaviour; (d) Management Information System; (e) Information Technology; (f) Decision Making; (g) Performance Budgeting; (h) Elementary Statistics Note 1: (a) The crucial date for computing the period of eligibility for promotion will be 1st January of the vacancy year. (b) Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully		

5061/2013—3

(3)

										completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. (c) For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/ the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. **Note 2:** (a) Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding		

(2)

										this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications. (b) The department officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion		

[F. No. 21/1(3)/2009-CCS/PF/1045]

SWATI PANDEY, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.